न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
61/दावा/2012	19.03.2012	16 .12.2019

हीरा लाल आ0 केसरी लाल जाति माली निवासी कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

......वादी

बनाम

1. श्रीमती रूमा बाई विधवा सोराम जाति बंजारा नि0 कैथूदा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. फोरी लाल आ0 स्वं0 सोराम जाति बंजारा नि0 कैथूदा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. सरदार आ0 स्वं0 सोराम जाति बंजारा नि0 कैथूदा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
5. दरबार सिंह आ0 स्वं0 सोराम जाति बंजारा नि0 कैथूदा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. चतुर्भुज आ0 स्वं0 सोराम जाति बंजारा नि0 कैथूदा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
7. पुष्पा बाई पुत्री स्वं0 सोराम जाति बंजारा नि0 कैथूदा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
8. कल्ली बाई पुत्री स्वं0 सोराम जाति बंजारा नि0 कैथूदा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
9. रमेश बाई पुत्री स्वं0 सोराम जाति बंजारा नि0 कैथूदा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
10. तोती बाई पुत्री स्वं0 सोराम जाति बंजारा नि0 कैथूदा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
11. गजरी बाई बैवा सोराम जाति बंजारा नि0 कैथूदा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री धीरेन्द्र चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 एवं 188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. यह कि वाद कें स्वामित्व, कब्जे व अधिपत्य की कृषि भूमि खसरा सख्या–220 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम क्षेत्र कैथूदा तह0 तालेडा जिला बूँदी में विस्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे सरकार खातेदार सोराम वल्द देवा बन्जारा सा0 देह के नाम दर्ज है, जिस पर वोदी करीब 30–35 वर्शो से काबिज हो काश्त करता आ रहा है।
2. यह कि सोराम की करीब 19–20 साल पुर्व मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में उसकी पत्नी प्रतिवादी क्रम–1 रूपाबाई विधवा सोराम जीवित है, जो उसकी एकमात्र कायम मुकाम व वारिस है।
3. यह कि प्रतिवादनी राजस्व रिकार्ड मे उक्त इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि को किसी को भी रहन, बय कर सकती है तथा वादी को भी बेदखल करने की घमकी दे रहीं है
4. यह कि वाद ने उक्त भूमि फाड तोडकर आबाद की थी तभी से उस पर काबिज है, ना जाने किस प्रकार उक्त भूमि सोराम के दर्ज हुई, उक्त भूमि के समीपस्थ ही वादी के खाते की अन्य भूमि भी स्थित है।
5. यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वे कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त भूमि स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड मे खाते दर्ज करवाये तथा प्रतिवादनी को उक्त भूमि कही रहन, बय न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबद करवाये।
6. यह कि प्रतिवादी ने वादी को सूचना भिजवाई है कि वह उक्त भूमि लेकर रहेगी। यही वाद कारण है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner

7. यह कि वाद कारण दिनांक 27/2/2012 से निरन्तर विरूद्ध प्रतिवादी उत्पन्न होता रहा है।

8. यह कि वाद आवश्यक प्रकृति का होने से तथा प्रतिवादी क्रम –2 के हितो के विरूद्ध कोई प्रभाव न होने से वाद बिना नोटिस धारा–80 जा0दी0 के शेष है पृथक से प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–80 जा0 दी0 शेष है।

अतः प्रर्थाना कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री सादर फरमाई जावेः–

1. यह कि वाद पत्र की चरण क्रम–1 मे वर्णित भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अंकन करवाया जावे।
2. यह कि प्रतिवादी क्रम–1 को वाद–पत्र की चरण क्रम–1 मे वर्णित भूमि पर कब्जा न करने तथा कही रहन अथवा बय नही करने हेतू स्थायी निशेधज्ञा से पांबद फरमाया जावे।
3. अन्य न्यायोचित सहायता जो उचित हो वादी को प्रदान की जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 की और से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 1 आंशिक मुताबिक रेकार्ड स्वीकार शेष तथ्य वादी स्वय सिद्ध करे। च0सं0 2 से 8 तक का संबंध वादी से है जिसे वादी सिद्ध करे। च0सं0 9 माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है। प्रतिवादी सं0 1 व 3 लगा0 11 बाउजूद सूचना हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 213 ग्राम केथूदा संवत् 2066–69, आंशिक नकल नक्शा ट्रेस ग्राम केथूदा, विक्रय पत्र दिनांक 7.5.1992, नकल जमाबन्दी खाता सं0 195 ग्राम केथूदा संवत् 2066–69, नकल जमाबन्दी खाता सं0 221 ग्राम केथूदा संवत् 2070–73, आधार कार्ड, हीरा लाल, मोडू लाल का साक्ष्य शपथ–पत्र की प्रतियॉ पेश की।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी नकल जमाबन्दी खाता सं0 221 ग्राम केथूदा संवत् 2070–73 ख0सं0 220 रकबा 9 बीघा में नामा0 सं0 803 दि0 29.07.2013 फौती सोराम के स्थान पर फोरी लाल, सरदार, दरबार, चतुर्भुज पिता सोराम, पुष्पा बाई, तोती बाई, कल्ली बाई, रमेश बाई पुत्रीयॉ सोराम गजरी बाई बैवा सोराम कौम बंजारा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा कब्जा मुखालपाना के आधार के आधार पर खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाह गया है। किन्तु इसके समर्थन में वादी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादी मुखालफाना के आधार पर कब्जा काश्त काबिज हो। अतः वाद वादी ठोस साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner